संख्या-72/2016/960/26-3-2016-100(115)/99

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 06 अप्रैल, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-481/140/ज.जा.वि/लेखा/2015-16, दिनांक-18.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन अनुदान सं0-81 के आयोजनेतर पक्ष के लेखाशीर्षक-**"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण"** के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार मतदेय पक्ष में रूपया-21,80,40,000/-(रूपये इक्कीस करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त । भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-72/2016/960(1)/26-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3
5-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-72/2016/960/26-3-2016-102(115)/99 दिनांक- 06 अप्रैल, 2016 का संलग्नक

अनुदान संख्या-81

आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रुपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2016-17	स्वीकृत धनराशि
राजस्व लेखा		
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान		
01-वेतन	5909	5909
03-महंगाई भत्ता	8036	8036
04-यात्रा व्यय	70	70
06-अन्य भत्ते	700	700
07-मानदेय	10	10
08-कार्यालय व्यय	120	120
09-विद्युत देय	40	40
10-जलकर/जल प्रभार	10	10
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	110	110
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	135	135
13-टेलीफोन पर व्यय	100	100
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	700	700
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600	600
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50	50
18-प्रकाशन	100	100
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30	30
45-अवकाश यात्रा व्यय	25	25
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्रय	80	80
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	150	150
49-चिकित्सा व्यय	100	100
51-वर्दी व्यय	10	10
03-योग-मुख्यालय-	17088	17088
06-जिला कार्यालय का जनजाति विकास संबंधी अधिष्ठान-		
01-वेतन	820	820
03-महंगाई भत्ता	1115	1115
04-यात्रा व्यय	15	15
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15	15
06-अन्य भत्ते	97	97
08-कार्यालय व्यय	25	25
09-विद्युत देय	40	40
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30	30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30	30
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	30	30
18-प्रकाशन	70	70
45-अवकाश यात्रा व्यय	25	25
49-चिकित्सा व्यय	30	30
51-वर्दी व्यय	3	3
योग :-06	2337	2337

http://
.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

08-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रख-रखाव		
01-वेतन	542	542
02-मजदूरी	150	150
03-महंगाई भत्ता	792	792
04-यात्रा व्यय	10	10
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	10
06-अन्य भत्ते	69	69
08-कार्यालय व्यय	20	20
09-विद्युत देय	50	50
10-जलकर/जल प्रभार	5	5
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20	20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35	35
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50	50
29-अनुरक्षण	70	70
41-भोजन व्यय	100	100
42-अन्य व्यय	5	5
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	65	65
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5	5
45-अवकाश यात्रा व्यय	10	10
49-चिकित्सा व्यय	50	50
51-वर्दी व्यय	5	5
योग -08	3073	3073
09-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा रख- रखाव		
01-वेतन	14660	14660
02-मजदूरी	400	400
03-महंगाई भत्ता	20210	20210
04-यात्रा व्यय	160	160
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30	33
06 अन्य भत्ते	1768	1768
08-कार्यालय व्यय	140	140
09-विद्युत देय	400	400
10-जलकर/जल प्रभार	50	50
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	140	140
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	110	110
13-टेलीफोन पर व्यय	125	125
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11970	11970
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	300	300
29-अनुरक्षण	350	350
34-छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	150	150
42-औषधालय संबंधी आवश्यक सामग्री	150	150
41-भोजन व्यय	64320	64320
42-अन्य व्यय	0	0
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	10600	10600
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30	30
45-अवकाश यात्रा व्यय	30	30
49-चिकित्सा व्यय	100	100
51-वर्दी व्यय	10	10

http:// p.nic.in

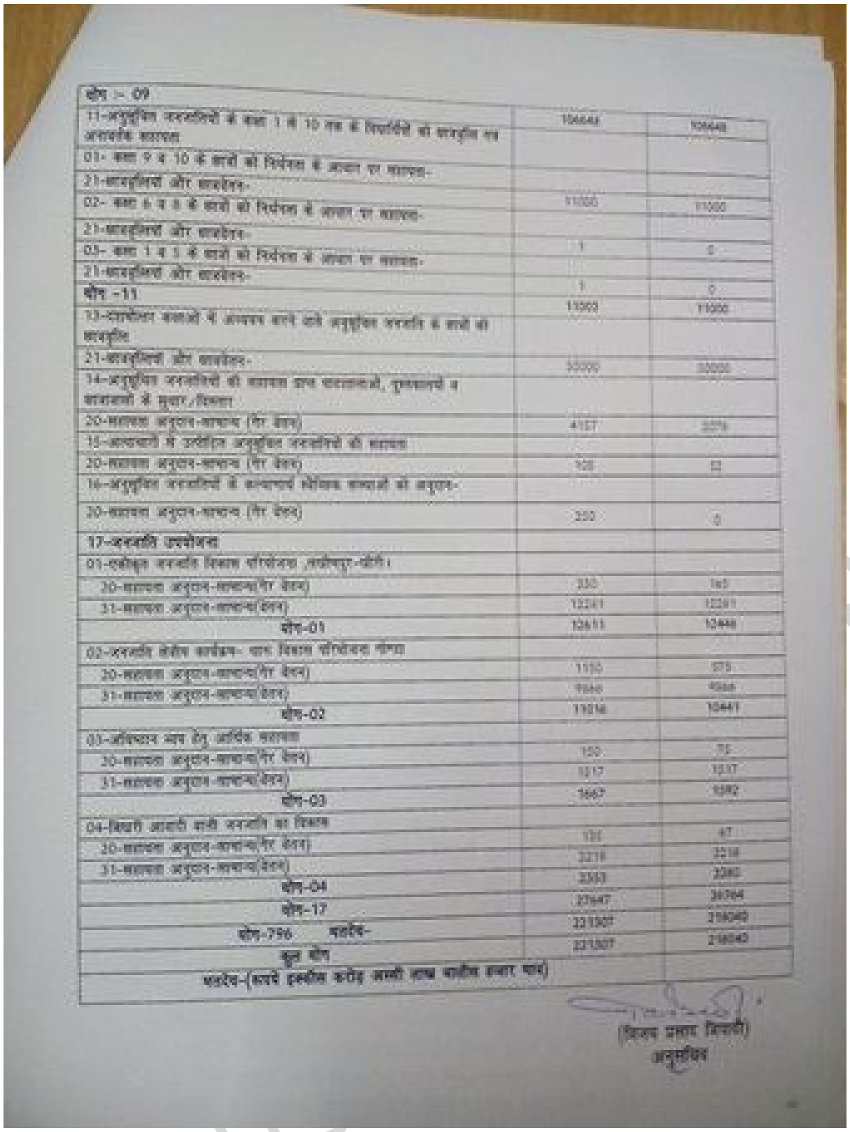

योग :- 09		
11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं आवर्तक सहायता	106640	106648
01- कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-		
02- कक्षा 6 से 8 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-	11000	11000
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-		
03- कक्षा 1 से 5 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-	1	0
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-	1	0
योग -11	11000	11000
13-स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति		
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-	30000	30000
14-अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विकास		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4107	2079
15-आपदाओं में उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	105	52
16-अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान-		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	250	0
17-जनजाति उपयोजना		
01-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना ,लखीमपुर-खीरी।		
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	330	165
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	12281	12281
योग-01	12611	12446
02-जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम- ग्राम विकास परियोजना गोण्डा		
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	1150	575
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	9866	9866
योग-02	11016	10441
03-औषधालय व्यय हेतु आर्थिक सहायता		
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	150	75
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	1517	1517
योग-03	1667	1592
04-बिखरी आबादी वाली जनजाति का विकास		
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	135	67
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	2218	2218
योग-04	2353	2280
योग-17	27647	26764
योग-796 महायोग-	221307	219040
कुल योग	221307	219040
शब्दों में-(रुपये इक्कीस करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार मात्र)		

(विजय प्रकाश तिवारी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।